

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या- 5711/पॉच-8-2018-जी0(312)/2017
लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप


मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-1098/2013 डा0 राम नरायन वर्मा बनाम राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-02-2016 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3619/सेक-2-पांच-17-6(148)/2016, दिनांक 29-08-2017 द्वारा विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथा संशोधित विनियमितीकरण नियमावली, 2001 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 राम नरायन वर्मा का विनियमितीकरण दिनांक 24-02-2003 से किया गया। विनियमितीकरण किये जाने के उपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-गोपन/वरि0क0आवं0/2017/1300, दिनांक 27-11-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 राम नरायन वर्मा, चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी को उनके विनियमितीकरण की तिथि 24-02-2003 के आधार पर आंकलित वरिष्ठता क्रमांक-11698क आवंटित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या- 5711 (1)/पॉच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
5. कोषाधिकारी, बाराबंकी।
6. डा0 राम नरायन वर्मा, चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
7. गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।